



अंत्योदय सरल



पशुपालन और डेयरी

सामान्य वर्ग के लिए सूकर / भेड़ व बकरी इकाई की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की योजना (under MMAPUY)

योग्यता:

1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष और वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
3. कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
4. आवेदक के पास भेड़/बकरी तथा सूकरों को रखने के लिए जगह/शैड होनी चाहिए।
5. किसी भी समूह / फर्म / संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख है।
6. इस योजना के तहत आवेदक को बेरोजगार होने और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए स्वयं घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मिलने वाला लाभ

1. योजना के तहत वित्तीय सहायता:

- 10+1 सूकर इकाई की स्थापना: इस इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की कीमत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रावधान है। इसके तहत अधिकतम अनुदान राशि रुपये 25,000/- दी जा सकती है।
- 15+1 भेड़ बकरी इकाई की स्थापना: इस इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की कीमत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रावधान है। इसके तहत अधिकतम अनुदान राशि रुपये 24,500/- दी जा सकती है।

योजना के तहत बीमा हेतु वित्तीय सहायता:

बीमा सहायता वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित विभागीय स्कीम की उपलब्धता के अनुसार प्रदान की जाएगी, अन्यथा पशुओं का बीमा लाभार्थी को स्वयं करवाना पड़ेगा एवं प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।

आवश्यक दस्तावेज:

1. परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
2. चैनकार्ड (अनिवार्य)
3. बैंक पास बुक / रद्द किया हुआ चेक अपलोड करें (अनिवार्य)

सेवा शुल्क:

सरकारी शुल्क	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

आरटीएस समय सीमा: आवेदन 30 कार्य दिवस में संबंधित सेवा क्षेत्र बैंक को भिजवाने बारे प्रस्तावित है।